

— / / 01 / / —

आप.प्र.क.: 1231 / 2014

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्र.क.: 1231 / 2014

संस्थित दि: 17 / 12 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

राजेश पिता ढेकल साखरवाड़े, उम्र 29 साल,

निवासी पारडीबांध थाना गंगासरी जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 22 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 16.10.2014 को दिन के 03:00 बजे लामटा परसवाड़ा में रोड कालापानी मोड़ थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.50—के.3853 को उपेक्षा एवं उतावलेपनपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी महेश साखरवाड़े ने दिनांक 17.10.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 16.10.2014 को ट्रक क्रमांक एम.पी.50—के.3853 के चालक के साथ डोंगरिया से धान लोडिंग करके गोंदिया जा रहा था तो ट्रक के चालक ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रक को चलाते हुये पलटा दिया, जिससे उसे तथा ट्रक चालक को चोटे आई। फरियादी की रिपोर्ट पर ट्रक क्रमांक एम.पी.50—के.3853 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 152/14 धारा 279, 337 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर

आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी तथा फरियादी के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 के आरोप में उन्मोचित किया गया तथा आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में विचारण किया जा रहा है।

(04) आरोपी चरनलाल को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/180, 146/196 तथा आरोपी चिंतामन को मोटरयान अधिनियम की धारा 50(1)क/177 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढ़कर सुनाई व समझाई गई।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी ने दिनांक 16.10.2014 को दिन के 03:00 बजे लामटा परसवाड़ा मेन रोड कालापानी मोड़ थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 50-के.3853 को उपेक्षा एवं उतावलेपनपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

—:: सकारण — निष्कर्ष ::—

(06) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(07) आरोपी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(08) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता

है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(09) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप के अन्तर्गत 1000 / — (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.50—कै.3853 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है । सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला, बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट